

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल - 462004  
= = = = = = = = = = =

क्रमांक - एफ 73 - 98 / 20-3/2003

भोपाल, दिनांक - 30-6-03

मा.



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
भुजीप फिल्म, नई दिल्ली।

विषय :- अशासकीय सडपार्ट्स एकेडमी इकान विहार निपान्था रोड, इन्दौर,  
को री.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु एन.ओ.सी.  
देने बाबत।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय सडपार्ट्स एकेडमी इकान विहार निपान्था इन्दौर  
को री.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण  
पत्र विभेद प्रकरण मानकर निष्ठन्तिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी  
को रूपयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे  
प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक प्रतीक्षा को  
या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है।
02. नीतिगत निर्णयों में छन दोनों मनोनीत संस्थाओं को आमंत्रित करना  
होगा।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रधार - प्रसार के लिए किये गये निर्णयों  
में पदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों  
को संस्था को करना होगा।
04. छेलकूद गतिविधियों में पदि संस्था घाहे तो सदस्याता ग्रहण कर सकता  
है। परन्तु ऐसा न होने पर भी पदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
को इनके किसी छेल परिसर पा भवन को आवश्यकता पड़ती है तो  
उपलब्ध कराना होगा।

निरन्तर 2 पर. . . .

:: 2 ::

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की रेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा गोप्यान्तराल

४ अगस्त २००३ आधि १३१/६/०३

अवर सचिव

मोपो शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 73-९८ /20-3/2003 भोपाल, दिनांक-

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, मोपो भोपाल ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला -
3. प्राचार्य, गोप्यान्तराल स्कैडरी इकानान विद्यार, निपांड्या रोड, इन्दौर, मो  
को और शुभनाथ एवं गोप्यक कार्यवाही हेतु ग्रेजित है ।

अवर सचिव  
मोपो शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

//मानकर//

28.06.03